

**कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email-pcsf-ednodal@gov.in

पत्रांक-1108

राँची, दिनांक-07.9.2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 KV, D/C पतरातू-लातेहार T/L निर्माण हेतु संशोधित कुल 163.5868 हे० हेतु (लातेहार वन प्रमंडल-103.681 हे०, रामगढ़ वन प्रमंडल-7.9685 हे०, एवं राँची वन प्रमंडल-51.9373 हे०) वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय के पत्रांक 507 दिनांक 31.03.2021 एवं पत्रांक 667 दिनांक 08.06.2021 एवं वन विभागीय पत्रांक 1451 दिनांक 09.06.2021 एवं वन विभागीय पत्रांक 2313 दिनांक 13.08.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है, कि 400KV D/C पतरातू-लातेहार ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु प्रस्ताव सं० FP/JH/Trans/32955/2018 हेतु कुल 169.0098 हे०, (संशोधित 163.5868 हे०) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर 2 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है।

विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण (पार्ट-III) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 1051 दिनांक 22.06.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है।

विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण कंडिकावार निम्नवत् है:-

क्र०	पृच्छाएँ	निराकरण
1.	CWLW का मंतव्य ।	CWLW का मंतव्य इस कार्यालय के पत्रांक 667 दिनांक 08.06.2021 द्वारा पूर्व में प्रेषित है। पुनः छायाप्रति संलग्न
2	राँची वन प्रमंडल से संबंधित संशोधित पार्ट-III की हस्ताक्षरित Hard copy विभाग को उपलब्ध कराया जाय।	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 1051 दिनांक 22.06.2021 द्वारा प्राप्त राँची वन प्रमंडल से संबंधित वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, राँची द्वारा हस्ताक्षरित संशोधित पार्ट-III Hard copy की प्रति प्राप्त हुई है। जो संलग्न है।

इसी क्रम में यह भी सूचित करना है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित Format Form-A Part-I एवं Part-II में क्रमशः संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़/राँची/लातेहार एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर Website अपलोड कर दिया गया है।

उक्त के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची से प्राप्त संशोधित पार्ट-III की Hard copy की तीन प्रतियां एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड किया हुआ पार्ट-I एवं पार्ट-II की तीन-तीन प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न करते हुये अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु संशोधित कुल 163.5868 हे० वनभूमि अपयोजन के लिए स्टेज-I स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002

e-mail- rccfranchi@gmail.com, rccf-ranchi@gov.in Ph. (0651) 2481907



पत्रांक 105/ दिनांक 22/06/2021



सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह– कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय:-

मेसर्स पावरग्रिड द्वारा 400 के0भी0 डी0/सी0 पतरातू से लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु संशोधित कुल 163.5868 हे0 हेतु (लातेहार वन प्रमण्डल-103.681 हे0, रामगढ़ वन प्रमण्डल-7.9685 हे0 एवं राँची वन प्रमण्डल-51.9373 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

इस कार्यालय का पत्रांक 630 दिनांक 09.03.2021 एवं झारखण्ड सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभागीय पत्रांक वनभूमि-05/2020-1451 व0प0, राँची दिनांक 09.06.2021।

निर्देश

माधव

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के प्रसंग में संदर्भ में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची से संबंधित संशोधित Part-III की हस्ताक्षरित Hard Copy की दो प्रतियाँ (मूल रूप में) अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
राँची।

22-06-21

439

PART III

(To be filled by the concerned Conservator of Forests)

14. Whether the site, where the forest land involved is located has been inspected by the concerned Conservator of Forest (Yes/No). If yes, the date of inspection and observation made in form of inspection note to be enclosed.

Yes, on 02.03.2020

15. Whether the concerned Conservator of Forest agrees with the information given in Part B and the recommendations of Deputy Conservator of Forests.

Yes.

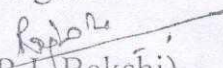
16. Specific recommendations of concerned Conservator of Forest for acceptance or otherwise of the proposal with detail reasons.

The laying of transmission line is essential for infrastructural development of the State as well as the nation. Hence the forest land proposed for diversion is recommended for acceptance.

Date :- 22/6/2021

Place :- RANCHI

Signature


(R.L. Bakshi)

Name and Designation

Conservator of Forests
Territorial Circle, Ranchi

(Official Seal)